

>

Title: Regarding Tripura Tribal Autonomous District Council - Laid

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): त्रिपुरा राज्य अन्तर्गत त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रीक्ट कांउसिल (ADC) की सीट की संख्या एवं बजट बढ़ाने हेतु इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए । त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि एवं प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हेतु इस संशोधन की आवश्यकता है । इस त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होने से त्रिपुरा के जनजातियों का जमीनी स्तर पर सामाजिक विकास होगा तथा पूर्वोत्तर सहित त्रिपुरा में बसे जनजातियों की भी बहुप्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा ।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) का संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए ।